

18.6.28.

-पत्रावली पेश हुई। प्राची अधिवक्ता उपस्थिति प्रकरण के
रस्ते के लाबथ में नहरीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होकर वक्ते
बहस नियत है। परन्तु प्राची अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति
होकर बहस नहीं की गई, न्यायालय द्वारा आबोजें लगावड़े
वाई बाबजूद उसके कांडे उपस्थित नहीं हुआ है। जिले
जाहिर है कि प्राची अपने अर्थता पर के प्रतिबन्धीर नहीं
है तथा चलाना नहीं चाहते है।

अतः प्राची का अर्थता पर अदम होजरी अदम पैरवी के
0928 के तहत खारिज किया जाना है। निर्णय अरेडजलास
सुनाया गया। प्रकरण फेसलरुकार होकर नम्बर के अदम
है।

(सामिच कुमारी)
IAS

18/6/28